



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-10032026-270802
CG-OR-E-10032026-270802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1181]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1181]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वी तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1233(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1969 (1969 का 28) की धारा 2 के खंड 3 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आंध्र प्रदेश राज्य में एतद्वारा निचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में बर्णित अधिकारियों के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस तरह कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

तालिका

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	संयुक्त कलेक्टर, पार्वतीपुरम मान्यम	वाल्तेयर डिवीजन के गुमाडा (जीएमडीए) – पार्वतीपुरम टाउन (पीवीपीटी) स्टेशनों के बीच किमी 378/9-10 पर मानव युक्त कंट्रोल रूम संख्या आरवी-274 को बंद करने के बदले एलएचएस के साथ सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
2		वाल्तेयर डिवीजन के गुमाडा (जीएमडीए) – पार्वतीपुरम टाउन (पीवीपीटी) स्टेशनों के बीच किमी 380/10-11 पर मानव युक्त एलसी संख्या आरवी-277 को बंद करने के बदले

	एलएचएस के साथ सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
3	वाल्टेयर डिवीजन के गुमाडा (जीएमडीए) – पार्वतीपुरम टाउन (पीवीपीटी) स्टेशनों के बीच किमी 382/8-9 पर मानव युक्त एलसी संख्या आरवी-278 को बंद करने के बदले में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।

[फा. सं. ECoR/Dy.CE/RSP/VSKP/ROBs/PH-30/CALA/274,277 & 278]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 9th March, 2026

S.O. 1233(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section-2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under the said Act in respect of area of the Special railway Project mentioned in column (3) of the table below in the State of Andhra Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

TABLE

Sl. No. (1)	Competent Authority (2)	Area of the Special Railway Project (3)
1	Joint Collector, Parvathipuram Manyam	Construction of Road Over Bridge with LHS in lieu of closing of manned LC No RV-274 at Km 378/9-10 between Gumada (GMDA) – Parvatipuram Town (PVPT) stations of Waltair Division.
2		Construction of Road Over Bridge with LHS in lieu of closing of manned LC No RV-277 at Km 380/10-11 between Gumada (GMDA) – Parvatipuram Town (PVPT) stations of Waltair Division.
3		Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No RV-278 at Km 382/8-9 between Gumada (GMDA) – Parvatipuram Town (PVPT) stations of Waltair Division.

[F. No. ECoR/Dy.CE/RSP/VSKP/ROBs/PH-30/CALA/274,277 & 278]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Con.-II